




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सिन्धु देवी वगैरह बनाम रजित स्वामी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....०७...../२०१८ धारा-१०७ द०प्र०सं० थाना प्रगारी सोनायूड (गैर शोषण) के अप्राथमिकी सं०-०२/१८ दिनांक-१२.०१.१८ प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि रत्ना लक्ष्मी कुसुम के पैड से लाह काटने का लेकल उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संग्रामना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असांतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-१०७ के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को १०००(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि २३-०२-१८ को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थापित। उभय पक्ष जमानतदारों के साथ दिनांक १२-०३-१८ को ह्वे।</p> <p> २३/२/१८</p>	


२३-०२-१८


तिथि

आदेश एवं प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर

10-09-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम
 पत्र अधिवक्ता दायी दिनांक ०२
 ०२ उपस्थित अन्य अनुपस्थित । उक्त
 वाद में पहली तिथि का समय विस्तृत
 देह आवेद्य दिया गया था किन्तु वाद
 में ६(६) माह की अवधि पूरी हो
 चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो
 गया है अतः वाद में अभिलेख की
 कार्रवाई बन्द की जाती है
 लेखापित एवं संशोधित


 10/9/18
 कायपालक द०साधिकारी
 गुण्ड (रंजी)


 10/9/18
 कायपालक द०साधिकारी
 गुण्ड (रंजी)